न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : रा.अ.नि. 2/2017 मदनलाल बनाम सरकार वगैरह

कार्यवाही /आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
28.11-17	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 29-07-2015 ग्राम श्रीरामगंज एवं इसके अनुसरण में स्वीकार किया गया नामान्तरकरण सं. 1031 निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	

न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

अपील संख्या : 02/2017

मदनलाल पुत्र श्री ग्यारसीलाल, जाति–बैरवा, निवासी–जगन्नाथपुरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
2. पन्ना पुत्र श्री हरलाल, जाति–बैरवा, निवासी–जगन्नाथपुरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
3. नन्दा पुत्र श्री हरलाल, जाति–बैरवा, निवासी–जगन्नाथपुरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
4. सीताराम पुत्र श्री हरलाल, जाति–बैरवा, निवासी–जगन्नाथपुरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
5. भूली पत्नी श्री सूरजकरण, जाति–बैरवा, निवासी–जगन्नाथपुरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
6. बनवारी पुत्र श्री सूरजकरण, जाति–बैरवा, निवासी–जगन्नाथपुरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
7. मुकेश पुत्र श्री सूरजकरण, जाति–बैरवा, निवासी–जगन्नाथपुरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
8. नौरतन पुत्र श्री सूरजकरण, जाति–बैरवा, निवासी–जगन्नाथपुरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
9. बादाम पुत्री श्री सूरजकरण, जाति–बैरवा, निवासी–जगन्नाथपुरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
10. संतोष पुत्री श्री सूरजकरण, जाति–बैरवा, निवासी–जगन्नाथपुरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
11. फोरन्ता पुत्री श्री सूरजकरण नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती भूली देवी, जाति–बैरवा, निवासी–जगन्नाथपुरा, तहसील–फागी, जिला –जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स,

(प्रथम अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार, फागी दिनांक 29.07.2015 जिसके द्वारा ग्राम श्रीरामगंज, तहसील–फागी, जिला–जयपुर की आराजी का बंटवारानामा स्वीकार किया गया और ना0सं0 1031स्वीकार किया गया)

उपस्थितः–

1. श्री रूस्तम शेख, अभिभाषक, अपीलान्ट् की ओर से।
2. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 11 बावजूद तामील अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय दिनांक : 28.11.2017

तहसीलदार, फागी जिला–जयपुर द्वारा ग्राम श्रीरामगंज की आराजी ख0नं0 366 रकबा 14 बीधा 01 बिस्वा, ख0नं0 401 रकबा 02 बीधा 18 बिस्वा, ख0नं0 402 रकबा 05 बिस्वा, ख0नं0 403 रकबा 01 बीधा 14 बिस्वा, ख0नं0 404 रकबा 01 बिस्वा, ख0नं0 405 रकबा 01 बीधा 01 बिस्वा, ख0नं0 406 रकबा 01 बिस्वा, ख0नं0 407 रकबा 01 बिस्वा, ख0नं0 408 रकबा 05 बिस्वा, ख0नं0 409 रकबा 01 बीधा 14 बिस्वा, ख0नं0 410 रकबा 07 बीधा 03 बिस्वा कुल किता 11 रकबा 29 बीधा 04 बिस्वा की खातेदारी काश्तकारी आराजी मदन पुत्र ग्यारसीलाल हि0 1/2, पन्ना, नन्दा, सीताराम पुत्र श्री हरलाल हि0 3/8, भूली पत्नी सूरजकरण, बनवारी, मुकेश, नोरतन पुत्र सूरजकरण, बदाम, सन्तोष, फोरन्ता पुत्री सूरजकरण हि0 1/8 के सह–खातेदारान् द्वारा प्रस्तुत बंटवारानामें को दिनांक 29.07.2015 को स्वीकार कर, बंटवारेनामे का नामान्तरकरण संख्या 1031 स्वीकार किया गया है, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई हैं।-

उक्त आशय की अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर करवाई जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट्स जारी किये गये व मिसल मातहत तलब की गई। रेस्पोडेन्ट् सं0 2 लगायत 11 बावजूद तामील अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट् के विद्वान् अभिभाषक श्री रूस्तम शेख का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है। अपीलाधीन आज्ञा पारित किये जाने से पूर्व राजस्व रिकार्ड व मौके की जॉच नही की गई। आज भी अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 29.07.2015 से पूर्व की स्थिति अनुसार काबिज चले आ रहे खसरा नम्बरान् पर पूर्व की तरह ही काबिज चले आ रहे हैं। विधि–विरूद्ध किये गये बंटवारे की पालना मौके पर आज भी नहीं हुई हैं। बंटवारानामा जो स्वीकार किया गया है वह, अधिनियम की धारा 53 में दिये गये प्रावधानों के विपरीत किया गया हैं जबकि पक्षकारान् विधिवत् बंटवारा चाहते थे और इसीलिये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बंटवारे का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था लेकिन वादग्रस्त खसरा नम्बरान् की भूमि का विधिवत् बंटवारा जरिये बीट्स एण्ड बाउण्ड्स नहीं किया गया सम्पूर्ण कुल किता 11 खसरा नम्बरान् में से मात्र खसरा नम्बर 366 व खसरा नम्बर 410 का विभाजन

किया गया हैं, जोकि तरमीम नक्शा ट्रेस में भी विधि अनुसार नहीं किया गया है, शेष खसरा नम्बरान् की भूमि का कोई तकास्मा नहीं किया गया हैं। जिस प्रकार सह–काश्तकारान् में सहमति हुई थी उसके अनुसार न तो बंटवारानामा लिखा गया है और न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुकूल तस्दीक किया गया हैं। वादग्रस्त आराजी में अपीलान्ट् का हिस्सा 1/2 हैं परन्तु बंटवारेनामें में हिस्सा 1/2 से अधिक आराजी दी गई। अपीलान्ट् के हिस्से में 15 बीधा 02 बिस्वा जरिये बंटवारा दी हैं जबकि अपीलान्ट् के हिस्से की 14 बीधा 12 बिस्वा ही हैं, 10 बिस्वा बैशी दी है जो नियमों के विपरीत है और हिस्से से अधिक आराजी प्राप्त कर भविष्य के लिऐ किसी विवाद को उत्पन्न नही करना चाहते है। विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य का बिल्कुल ध्यान नही रखा गया है कि पक्षकारों के मध्य सरस व नीरस आराजी का समान बंटवारा हो और पूरी सरस अधिक उपजाउ व अधिक मूल्य की आराजी बटंवारेनामें में रेस्पोडेन्टस् के हक में और बंजड व कम मूल्य की आराजी अपीलान्ट् के हक में तस्दीक कर दी जो अपीलान्ट् के विरूद्ध सरासर अन्याय हैं। बिना मौके की व तथ्यों की जॉच किये विधि विरूद्ध स्वीकार किये गये बंटवारेनामा दिनांक 29.07.2015 के आधार पर ही दिनांक 29.07.2015 ही बिना न्यायिक विवेक का उपयोग किये एकतरफा नामान्तरकरण संख्या 1031 स्वीकार किया है । शुन्य आधारित आज्ञा दिनांक 29.07.2015 के आधार पर स्वीकार किया गया नामान्तरकरण संख्या 1031 अवैध होने से निरस्तनीय है। अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 29.07.2015 व नामान्तरकरण संख्या 1031 की अपीलान्ट को कोई जानकारी नही थी, इन आज्ञाओं की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 23.12.2016 को हुई तो अपीलान्ट् ने तुरन्त कानूनी राय मशविरा कर जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद अपील पेश की है अतः अपील अपीलान्ट् स्वीकार की जावें अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 29.07.2015 बंटवारानामा व नामान्तरकरण संख्या 1031 दिनांक 29.07.2015 निरस्त फरमाया जावें ।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर का कथन है कि अपील का गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार निस्तारण किया जावें ।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। उपरवक्त बहस अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक श्री रूस्तम शेख ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व अभिलेख व मौके का बिना निरीक्षण किये व बिना विवेक का उपयोग किये बंटवारानामा स्वीकार

किया गया है, इस तथ्य का बिल्कुल ध्यान नही रखा गया है कि पक्षकारों के मध्य सरस व नीरस आराजी का समान बंटवारा हो और पूरी सरस अधिक उपजाउ व अधिक मूल्य की आराजी बटंवारेनामें में रेस्पोडेन्टस् के हक में और बंजड व कम मूल्य की आराजी अपीलान्ट् के हक में तस्दीक कर दी जो अपीलान्ट् के विरूद्ध सरासर अन्याय हैं, अपीलान्ट् के उक्त कथन की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नामान्तरकरण सं0 1031 में अपीलान्ट् के हक में स्वीकार किये गये खसरा नम्बर ख0नं0 ख0नं0 401 रकबा 02 बीधा 18 बिस्वा बंजड़ दोयम, ख0नं0 402 रकबा 05 बिस्वा बंजड़ दोयम, ख0नं0 403 रकबा 01 बीधा 14 बिस्वा बंजड़ दोयम, ख0नं0 404 रकबा 01 बिस्वा गै0मु0 झेरा, ख0नं0 405 रकबा 01 बीधा 01 बिस्वा बंजड़ दोयम, ख0नं0 406 रकबा 01 बिस्वा बंजड़ दोयम, ख0नं0 407 रकबा 01 बिस्वा गै0मु0 झेरा, ख0नं0 408 रकबा 05 बिस्वा बंजड़ दोयम, ख0नं0 409 रकबा 01 बीधा 14 बिस्वा बंजड़ दोयम, ख0नं0 410 रकबा 07 बीधा 03 बिस्वा बंजड़ दोयम एवं आराजी खसरा नं0 366 रकबा 14 बीधा 01 बिस्वा बारानी दोयम में से मात्र 08 बिस्वा अपीलान्ट् के हक में देने से होती हैं। रेस्पोडेन्ट् सं0 02 लगायत 11 द्वारा आराजी खसरा नं0 366 रकबा 14 बीधा 01 बिस्वा बारानी दोयम में से 13 बीधा 13 बिस्वा व आराजी खसरा नं0 410 रकबा 07 बीधा 03 बिस्वा बंजड़ दोयम में से मात्र 09 बिस्वा आराजी प्राप्त की गई हैं जो स्पष्ट रूप से यह इंगित करती हैं कि रेस्पोडेन्ट् सं0 02 लगायत 11 द्वारा अधिक उपजाउ व अधिक मूल्य की आराजी प्राप्त की गई हैं व अपीलान्ट् को कम उपजाउ व कम मूल्य की आराजी दी गई हैं जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 53 (1) के सपठित राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 20 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं। नामान्तरकरण सं0 1031 के अवलोकन से यह भी जाहिर होता हैं कि नामान्तरकरण सं0 1031 के कॉलम सं0 07 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार अपीलान्ट् का वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 कुल किता 11 रकबा 29 बीधा 04 बिस्वा हिस्सा 1/2 एसबीआई शाखा फागी के रहन हैं परन्तु बंटवारे के पश्चात् नामान्तरकरण सं0 1031 के कॉलम सं0 09 के दर्ज इन्द्राज के अनुसार अपीलान्ट की आराजी ख0नं0 366/1 रकबा 08 बिस्वा, ख0नं0 401 रकबा 02 बीधा 18 बिस्वा, ख0नं0 402 रकबा 05 बिस्वा, ख0नं0 403 रकबा 01 बीधा 14 बिस्वा, ख0नं0 404 रकबा 01 बिस्वा, ख0नं0 405 रकबा 01 बीधा 01 बिस्वा, ख0नं0 406 रकबा 01 बिस्वा, ख0नं0 407 रकबा 01 बिस्वा,

ख0नं0 408 रकबा 05 बिस्वा, ख0नं0 409 रकबा 01 बीधा 14 बिस्वा, ख0नं0 410/1 रकबा 06 बीधा 14 बिस्वा कुल किता 11 रकबा 15 बीधा 02 बिस्वा राहिन एसबीआई शाखा फागी, मूर्तहीन का इन्द्राज किया गया हैं जो अविधिक हैं। उक्त विवेचनानुसार अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 29.07.2015 बाबत् बंटवारा आराजी ग्राम श्रीरामगंज में विधिक त्रुटि पाते है। अतः अपील–अपीलान्ट् स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 29.07.2015 ग्राम श्रीरामगंज एवं इसके अनुसरण में स्वीकार किया गया नामान्तरकरण सं0 1031 निरस्त किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)